

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग नौगांव
जिला छतरपुर म.प्र.

विषय:- तेंदुआ नाला बांध में प्रभावित वन भूमि / राजस्व वन भूमि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के ग्राम श्यामरीपुरवा, ग्राम पंचायत अतनियां जनपद पंचायत ईशानगर मुख्यालय छतरपुर वन क्षेत्र के वन खण्ड के कक्ष क्र. 636 रकवा 45.278 हे. हेतु वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने बावत् ।

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन पत्र क्र. 354 / 2018 नौगांव दिनांक 20.2.2018

—00—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से छतरपुर जिले के अनुविभाग छतरपुर एवं तहसील छतरपुर के अंतर्गत प्रस्तावित तेंदुआ नाला बांध में प्रभावित परियोजना के शीर्ष कार्य में प्रभावित वन भूमि/राजस्व भूमि हेतु वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

छतरपुर जिले के अनुविभाग के ग्राम श्यामरीपुरवा, ग्राम पंचायत अतनियां जनपद पंचायत ईशानगर मुख्यालय छतरपुर वन क्षेत्र के वन खण्ड के कक्ष क्र. 636 रकवा 45.278 हे. उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष दिचारसार्थ प्रस्तुत हुआ था। वनअधिकारसमिति, एवं उपखण्ड स्तर समिति के द्वारा इस कक्ष क्रमांक में कोई भी वन अधिनियमके अंतर्गत व्यक्तिग / सामुदायिक दावे एवं हकदार नहीं पाये गये इसलिये उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर व्यपवर्तन प्रमाण पत्र (एफ.आर.ए.) जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अंकित कक्ष के क्षेत्र में ग्राम सभा/वन अधिकार समिति/उपखण्ड स्तर समिति में इन प्रस्तावों को निर्णय हेतु अधिनियम के दिये गये प्रावधानों के अनुसार रखा गया तत्पश्चात उक्त कक्ष क्रमांक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में दिये गये नियमों के अनुसार समितियों द्वारा विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया उपखण्ड स्तर समिति छतरपुर की अनुशंसा के पश्चात जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इन ग्रामों में पूर्व/बाद में (एम.एल. एरिया) के अंदर/बाहर वन अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में दिये गये हक प्रमाण पत्र धारकों को प्रतिवेदित कक्ष क्रमांक 636 के आसपास 5 किमी. की परिधि में स्थित ग्रामों में रहने वाले स्थानीय (निवासी) ग्रामीण परिवारों को जंगल से प्राप्त होने वाली आय अकाष्टीय लघुवनोपज (एन.,टी.,एफ.,पी.) एवं अन्य तेंदूपत्ता संग्रहण जो फर्मों द्वारा अधिग्रहीत होने वाले क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय से इन फर्मों द्वारा म.प्र. शासन

तथा भारत शासन के वर्तमान एवं इस संबंध में भविष्य के निर्णय अनुसार एवं मुआवजा/कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जावेगी।

उक्त बैठक में इस प्रस्ताव के संबंध में संलग्न समस्त अभिलेखों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया अवलोकन उपरान्त अंतिम विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विचार किया गया जिसमें विनिश्चय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा संकल्प पर विचार करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जावे।

संलग्न:- 1 व्यपवर्तन प्रमाण पत्र
2. कार्यवाही विवरण

पृ.क्र./लघुअंचल/2017-18/ 7/116
प्रतिलिपि:-


- 1- वन संरक्षक सामान्य वन मण्डल छतरपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर

जिला छतरपुर म.प्र.

छतरपुर दिनांक 7/3/18



कलेक्टर

जिला छतरपुर म.प्र.

FORM-II
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Chhatarpur

No. 7117

Dated... 7/3/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11/09/98 FC(pt) dated 3rd August 2009, where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that **45.278 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour Water Resources Department for construction of **Tendua nalla** Irrigation Project in Chhatarpur district falls within jurisdiction of **Shamripurwa village PF No.636** in Chhatarpur tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **45.278 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records for all consultation and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub Divisional Committee, and the District Level Committee are enclosed as annexure to.
- (b) The proposal for such diversion with full details of the project and its implication in vernacular/local language have been placed before concerned gram sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The Concern gram sabha has certified that all formalities/process under FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of the proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of **Shamripurwa** village is enclosed as annexure to.
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribes Groups and Preagricultural communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above


Collector
Distt. Chhatarpur

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति छतरपुर की बैठक दिनांक

06.03.2018 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 6.3.2018 को अपराह्न 3:00 बजे कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये:-

1- छतरपुर जिले के अनुविभाग के ग्राम श्यामरीपुरवा, ग्राम पंचायत अतनियां जनपद पंचायत ईशानगर मुख्यालय छतरपुर वन क्षेत्र के वन खण्ड के कक्ष क्र. 636 रकवा 45.278 हे. उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था। वनअधिकारसमिति, एवं उपखण्ड स्तर समिति के द्वारा इस कक्ष क्रमांक में कोई भी वन अधिनियमके अंतर्गत व्यक्तिगत / सामुदायिक दावे एवं हकदार नहीं पाये गये इसलिये उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर व्यपवर्तन प्रमाण पत्र (एफ.आर.ए.) जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अंकित कक्ष के क्षेत्र में ग्राम सभा/वन अधिकार समिति/उपखण्ड स्तर समिति में इन प्रस्तावों को निर्णय हेतु अधिनियम के दिये गये प्रावधानों के अनुसार रखा गया तत्पश्चात उक्त कक्ष क्रमांक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में दिये गये नियमों के अनुसार समितियों द्वारा विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की गई है उपखण्ड स्तर समिति छतरपुर की अनुशंसा के पश्चात जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इन ग्रामों में पूर्व/बाद में (एम.एल. एरिया) के अंदर/बाहर वन अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में दिये गये हक प्रमाण पत्र धारकों को प्रतिवेदित कक्ष क्रमांक 636 के आसपास 5 किमी. की परिधि में स्थित ग्रामों में रहने वाले स्थानीय (निवासी) ग्रामीण परिवारों को जंगल से प्राप्त होने वाली आय अकाष्टीय लघुवनोपज (एन.,टी.,एफ.पी.) एवं अन्य तैदूपत्ता संग्रहण जो फर्मों द्वारा अधिग्रहीत होने वाले क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय से इन फर्मों द्वारा म.प्र. शासन तथा भारत शासन के वर्तमान एवं इस संबंध में भविष्य के निर्णय अनुसार एवं मुआवजा/कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जावेगी।

उक्त बैठक में इस प्रस्ताव के संबंध में संलग्न समस्त अभिलेखों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया अवलोकन उपरान्त अंतिम विनिश्चय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विचार किया गया जिसमें विनिश्चय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा संकल्प पर विचार करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जावे।

जिला संयोजक/सचिव

आदिम जाति कल्याण

छतरपुर म.प्र.

हरिबाई

सदस्य

जिला वन अधिकार समिति

छतरपुर म.प्र.

वन संरक्षक/सदस्य

सामान्य वन मण्डल छतरपुर

छतरपुर म.प्र.

रहीसराजी

सदस्य

जिला वन अधिकार समिति

छतरपुर म.प्र.

कलेक्टर/अध्यक्ष

जिला छतरपुर

कलेक्टर
छतरपुर

सदस्य

जिला वन अधिकार समिति

छतरपुर म.प्र.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर (म0प्र0)

पत्र क्र० /

/छतरपुर/ दिनांक-

प्रति,

संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
छतरपुर (म0प्र0)

विषय:- तेंदुआ नाला बांध में प्रभावित वन भूमि व्यपवर्तन (अधिनियम - 2006) के संबंध में ।

संदर्भ:- ग्राम पंचायत अतनियां द्वारा ग्राम सभा का सहमति पत्र दिनांक- 27.1.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ निर्माणाधीन तेंदुआ नाला बांध के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के व्ययवर्तन के लिए (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत अतनियां जनपद पंचायत ईशानगर द्वारा ग्राम सभा में सहमति व्यक्त की गई है । तदनुसार ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही दिनांक 27.01.2018 की प्रति आपकी ओर प्रेषित है ।

अतः वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है ।

सहपत्र:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति ।

हस्ता-

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)

छतरपुर(म0प्र0)

दिनांक- 26/02/18

पृ०क्र० / 105 / छतरपुर

प्रतिलिपि:-

✓ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
छतरपुर(म0प्र0)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

1- प्रमाणित किया जाता है कि तहसील छतरपुर के ग्राम श्यामरीपुरवा के आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 636 रकवा 45.278 हे०/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्र०-.....रकवा.....हेक्टेयर वन भूमि जो तेदुआ नाला बांध योजना के लिये व्यवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत व्यवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है ।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि तेदुआ नाला बांध योजना में व्यवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकवा 45.278 हेक्टेयर वन भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है ।

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है । प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है । अथवा / यह कि व्यवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दु लागू नहीं है । (जो लागू नहीं उसे काट दें) साथ ही जिले के अंतर्गत सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 45.278 हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है । (यदि लागू हो तो)

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था । (यदि कण्डिका 2 के प्रकाशन में लागू हो)

4- यह कि प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है ।

5- यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है ।


अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, छतरपुर
जिला छतरपुर (म०प्र०)

—कार्यवाही विवरण —

बैठक दिनांक 27-2-2018

आज दिनांक 27-2-18 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री रवीन्द्र चौकसे की अध्यक्षता में निम्नानुसार प्रस्ताव (सकल्प) निर्णय हेतु रखे गये ।

प्रस्ताव क्रमांक-02

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव जिला छतरपुर को वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत तेदुआ नाला बांध के डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले में प्रभावित 45.278 वन भूमि ग्राम श्यामरीपुरवा का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र पूर्व में प्राप्त हो चुका है । उपरोक्त वन भूमि तेदुआ नाला बांध डूब क्षेत्र में आ रही है ।

ग्राम श्यामरीपुरवा ग्राम पंचायत अतनियां विकासखण्ड ईशानगर की 45.278 हे० के वन भूमि व्यपवर्तन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा सहित अतिम विनिश्चय हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की ओर प्रेषित किया जावे ।






अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

उप०स्त०वन०अधिकार समिति

छतरपुर जिला छतरपुर

आपु दिनेशु २३/०२/२०१८ को म.प्र. शासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम २००६ के अंतर्गत नैदुआ ^{नावा} हावावा योजना का कार्य क्रियान्वयन प्रस्तावित है। जिसमें ग्राम पंचायत अहमिया के अंतर्गत ग्राम श्यामरीपुरा में ग्राम सभा को सलमति बैठक दिनेशु २३/०१/२०१८ में वन सलमति के ५० प्रतिशत से अधिक सदस्यों की अस्थिति रही। उक्त ग्राम ग्राम सभा को सलमति के आधार पर बैठक सी गई जिसमें निम्न निम्न अधिकारिण उपस्थित रहे।

- ① श्री परमा लाल S.D.O Jorast रड 
- ② श्री आशिष कर्षी तहसीलदार हनुमुड 
- ③ श्री मुख्य अधिकारी जनपद पंचायत हनुमुड 
- ④ श्री मति राधा कौट व. रमेश कौट नि. ग्राम विपौराउड रा. हनुमुड
- ⑤ श्री मनोराम लक्ष्मण झाडा अहमिया नि. ग्राम पंचायत  २३/०२/२०१८
- ⑥ श्री गीतार्थ व. दलपत अहमिया वडि नग १८ वडिका
ग्राम वगौला तह. हनुमुड

प्रतिलिपि ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही

ग्रामसभा का नाम— अतनियां

सम्मिलन का दिनांक— 27.01.2018

सम्मिलन का स्थान— साहिबुदास शिवन श्यामरीपुरवा

सम्मिलन का समय— 11 बजे

सम्मिलन में उपस्थित—.....

सदस्य संख्या

सम्मिलन के समक्ष रखे जाने वाले विषय	सम्मिलन का कार्यवृत्त
वन भूमि व्यपवर्तन क संबंध में	<p>प्रस्तावक — <u>हरमोदित 27.01.18 सदस्य</u> ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत अतनिया के ग्राम श्यामरीपुरवा में तेंदुआ नाला तालाव योजना में वन क्षेत्र के खसरा क्रं0 8/1, 9, 10 में से , 12/1, 12/2 मेंसे, 13 मेंसे, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29/1/1, 29/1/2, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2/2, 48, 49, 50/1/1, 50/1/2, 50/2, 51, 55/1, 55/2, 55/4, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 95, 204/2, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74, कुल रकवा 45.278 है0 के व्यपवर्तन हेतु कार्यवाही की जाना है । उक्त जमीन के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनेयम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की समग्र औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है । ग्राम सभा में व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है ।</p> <p style="text-align: center;">उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया ।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  सचिव ग्राम पंचायत अतनियां वि. ख. व जिला (अ.प्र.) </div> <div style="text-align: center;">  सरपंच ग्राम-पंचायत अतनियां ज.प.व जिला-छतरपुर </div> </div>

कार्यालय ग्राम पंचायत अतनिया जनपद पंचायत ईशानगर
जिला छतरपुर (म०प्र०)

-ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि -

1- जल संसाधन संभाग नौगांव की तेंदुआ नाला तालाब योजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस योजना में मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम श्यामरीपुरवा वन क्षेत्र के खसरा क्र० 8/1, 9, 10 में से, 12/1, 12/2 मेंसे, 13 मेंसे, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29/1/1, 29/1/2, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2/2, 48, 49, 50/1/1, 50/1/2, 50/2, 51, 55/1, 55/2, 55/4, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 95, 204/2, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74, कुल रकवा 45..278 है० है । उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है ।

2- वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 27.01.2018 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे ।


3- ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूति जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकता/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है । तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है ।

4- वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपनी सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्न:-ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक- 27.01.2018


सचिव
ग्राम पंचायत अतनिया
वि.सं.व जिला छतरपुर (म.प्र.)


सरपंच
हस्ताक्षर नाम मुद्रा सहित
ग्राम पंचायत अतनिया
ज.प.व जिला-छतरपुर

प्ररूप 2
(नियम-6 देखिये)

(छत्रसाल पंचायत प्रेस, छतरपुर)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

- 1— ग्राम पंचायत का नाम अननिपा 4— सम्मिलन का स्थान साहुसिखिगवा
 2— ग्राम सभा का नाम श्यामलीपुरा 5— सम्मिलन की समय 11:45
 3— सम्मिलन का तारीख 27/01/2018

अनुक्रमांक [1]	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम [2]	सदस्यों के हस्ताक्षर [3]
1.	श्री श्यामबिकारी रामदेव	
2.	श्री श्रीवत्स लाल अहिरवार	
3.	श्रीमती चाम्पू शर्मा	
4.	हरदास अहिरवार	
5.	हरगोविन्द अहिरवार	
6.	अनिल अहिरवार	
7.	कमला अहिरवार	
8.	केशव अहिरवार	
9.	श्रीमती गेंडा निवारी	
10.	श्रीमती कल्पना निवारी	
11.	श्रीमती नरदास अहिरवार	
12.	हरगोविन्द शर्मा	
13.	नरदास शर्मा	

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में)

स्थान

तारीख

सचिव के हस्ताक्षर

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

- 1- ग्राम पंचायत का नाम अतुलिया 4- सम्मिलन का स्थान आधुनिक
 2- ग्राम सभा का नाम ग्राम सभा 5- सम्मिलन का समय 11:00
 3- सम्मिलन की तारीख 27/01/2018

अनुक्रमांक [1]	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम [2]	सदस्यों के हस्ताक्षर [3]
14	किशोरी लाल भादव	किशोरी लाल भादव
15	पद्म लाल भादव	पद्म लाल भादव
16	अब्दुल क़दिर	अब्दुल क़दिर
17	मईयादीन	मईयादीन उशवाहा
18	मोहन यादव	मोहन यादव
19	कृष्ण लाल भादव	कृष्ण लाल भादव
20	विद्यालाल यादव	विद्यालाल यादव
21	बालू यादव	बालू यादव
22	शशि यादव	शशि यादव
23	जुगल यादव	जुगल यादव
24	राम किशोरी	राम किशोरी
25	गोकल यादव	गोकल यादव
26	राम विशाल द्विवेदी	राम विशाल द्विवेदी
27	रजेश दुबे	रजेश दुबे
28	दशरथ यादव	दशरथ यादव
29	शशि यादव	शशि यादव
30	कमेश यादव	कमेश यादव
31	जयशंकर	जयशंकर
32	गौरीशंकर यादव	गौरीशंकर यादव
33	शेखर उशवाहा	शेखर उशवाहा

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में) -----

स्थान -----
तारीख -----

PSJ
अचिव के हस्ताक्षर
मुद्रा

स्थ
ता

प्ररूप 2
(नियम 6 देखिये)

(छत्रसाल पंचायत प्रेस, छतरपुर)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

- 1— ग्राम पंचायत का नाम अमरिया 4— सम्मिलन का स्थान शास्त्री चक्र पत्त
 2— ग्राम सभा का नाम कुष्मापरी गावा 5— सम्मिलन की समय 11 बजे
 3— सम्मिलन का तारीख 27/01/2018

अनुक्रमांक [1]	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम [2]	सदस्यों के हस्ताक्षर [3]
34	सीता कुष	
35	कुल्लू बाई	
36	मानकूपर	मानकूपर
37	श्रीला	
38	पूरन कुशवाहा	पूरन
39	कुलपा बाई	
40	सरत कुशवाहा	सरत
41	उर्मिला बाई	
42	रामचरन कुशवाहा	रामचरन
43	रामचरन यादव	रामचरन
44	रामेश्वर यादव	रामेश्वर
45	कुमला चमार	
46	कुल्लू	कुल्लू
47	वीरन अहिरवार	वीरन
48	पवन अहिरवार	पवन
49	हरदास अहिरवार	
50	विनइया अहिरवार	
51	कुल्लू यादव	
52	ग्यासी यादव	
53	गोवन्दी यादव	
54	कुल्लू	
55	धविमाल	
56	सरजू यादव	

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में)

स्थान

तारीख

सचिव क हस्ताक्षर

मटा

(नियम 6 देखिये)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

- 1- ग्राम पंचायत का नाम अरविनाथ 4- सम्मिलन का स्थान अरविनाथ पंचायत
- 2- ग्राम सभा का नाम कृष्णाशरी कुटवा 5- सम्मिलन की समय 12/12/2018
- 3- सम्मिलन का तारीख 27/01/2018

अनुक्रमांक [1]	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम [2]	सदस्यों के हस्ताक्षर [3]
80	कालीचरन	कालीचरन
81	पार्वती बाई	पार्वती
82	बेटी बाई	
83	गिन्दी बाई	
84	सुन्नीलाल यादव	
85	सिया बाई	
86	समवती बाई	
87	सुन्दर बाई	
88	बेटी बाई	
89	हरकृष्ण	
90	सल्लू बाई	
91	गिरजा बाई	
92	श्यामलाल	श्यामलाल
93	प्रकाश यादव	प्रकाश
94	खैरेलाल	
95	गौरी बाई	
96	बेटी बाई	
97	पुनिया बाई	
98	धरमदास	
99	धर्मा	
100	कुटनू बाई	

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में) 12/12

स्थान

तारीख

सचिव के हस्ताक्षर

पता